संख्याः-01/2019/पी-07/अड़तीस-9-2020-08(बजट)/2019

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्राविधानित बजट के अन्तर्गत पीआईयू, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रॉयबरेली के पैकेज सं0 यूपी 58125 के मार्ग पर पड़ने वाले वाटर पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1405/एफ-31(8)/यूपीआरआरडीए/2019 दिनांक-22.08.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्राविधानित बजट के अन्तर्गत पीआईयू, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रॉयबरेली के पैकेज सं0 यूपी 58125 के मार्ग पड़ने वाले वाटर पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 31.91 लाख (रू0 इकतीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता/पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा। जल निगम द्वारा प्रस्तावित आगणन का सक्षम स्तर से परीक्षण/मूल्यांकन होने के पश्चात ही वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मद में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर ब्याज अर्जन के उद्देश्य किसी बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) योजनांतर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-11/x-2020 दिनांक-07.01.2020 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्याः-01/2019/पी-07(1)/अड़तीस-9-2020/तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊं
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।